

## कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-10/2015-  
प्रेषक,

/क०, पटना, दिनांक .....अगस्त 2015.

बी० कार्तिकेय, भा०प्र०से०  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री मुकेश कुमार,  
मेसर्स एडामा इंडिया प्रा० लि०,  
द्वारा-H/O श्री शशांक अग्रवाल,  
प्रथम तल, दक्षिण साईड,  
A-3, ट्रान्सपोर्ट नगर, पटना-7

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या-25-26 दिनांक 18.11.2009 वैद्यता तिथि 31.12.2014 का नवीकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य अभिलेखों तथा सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण-सह-कीटनाशी निरीक्षक, सर्वलेन्स मुख्यालय, पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के में निहित प्रावधानों के आलोक में स्वनिर्मित कुल 66 एवं मेसर्स पंजाब पेस्टीसाइड इन्डस्ट्रीयल कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लि० द्वारा निर्मित एक कीटनाशी से संबंधित बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 25-26 दिनांक 18.11.2009 वैद्यता तिथि 31.12.2014 का नवीकरण उनके प्रिंसिपल सर्टिफिकेट एवं विनिर्माण अनुज्ञप्ति की वैद्यता तिथि के आधार पर दिनांक 31.12.2016 तक के लिए किया जाता है।

क्र० सं०	कीटनाशी का नाम	क्र० सं०	कीटनाशी का नाम	वैद्यता तिथि
1	मेसर्स एडामा इंडिया प्रा० लि०	1	Novaluron 10% EC	31.12.2015
		2	Chlorpyrifos 20% EC	31.12.2015
		3	Dicofol 18.5%EC	31.12.2015
		4	Oxyfluorfen 23.5% EC	31.12.2015
		5	Propiconazole 25% EC	31.12.2015
		6	Captan 50% WP	31.12.2015
		7	Atrazine 50% WP	31.12.2015
		8	Trifluralin 48% EC	31.12.2015
		9	Coper oxychloride 50% WP	31.12.2015
		10	Mancozeb 64%+Metalaxyl 8% WP	31.12.2015
		11	Indoxacarb 14.5%SC	31.12.2015
		12	Isoprothiolane 40% EC	31.12.2015
		13	Metribuzine 70% WP	31.12.2015
		14	Clodinofop Propargyl 15% WP	31.12.2015
		15	Metsulfuron Methyl 20% W.P	31.12.2015
		16	2, 4-D Sodium Salt 80% WP	31.12.2015
		17	Sulfosulfuron 75% WG	31.12.2015
		18	Pendimethaline 30% EC	31.12.2015
		19	Carbendazim 50% WP	31.12.2015
		20	Mancozeb 75% WP	31.12.2015
		21	Acephate 75% SP	31.12.2015
		22	Carbofuran 3% CG	31.12.2015
		23	Cartap Hydrochloride 50% SP	31.12.2015

		24	Profenophos 40%+ Cypermethrine 4% EC	31.12.2015
		25	Hexaconazole 5% EC	31.12.2015
		26	Glyphosate 41% SL	31.12.2015
		27	Carbendazim 12%+Mancozeb 63%WP	31.12.2015
		28	Lambda cyhalothrin 5% EC	31.12.2015
		29	Fipronil 0.3% GR	31.12.2015
		30	Acetamipride 20% SP	31.12.2015
		31	Cartap Hydrochloride 4% GR	31.12.2015
		32	Paraquate Dichloride 24% SL	31.12.2015
		33	Profenophos 50% EC	31.12.2015
		34	Validamycin 3% L	31.12.2015
		35	Pretilachlor 50% EC	31.12.2015
		36	Propargite 57% EC	31.12.2015
		37	Tricyclazole 75% W.P.	31.12.2015
		38	Thiodicarb 75% W.P.	31.12.2015
		39	Imidachloprid 70% WG	31.12.2015
		40	Propineb 70% WP	31.12.2015
		41	Propaquizafop 10% EC	31.12.2015
		42	Diuron 80% WP	31.12.2015
		43	Azoxystrobin 23% SC	31.12.2015
		44	Thiamethoxam 25% WG	31.12.2015
		45	Myclobutanil 10% WP	31.12.2015
		46	2,4-D amine salt 58% SL	31.12.2015
		47	Imidacloprid 17.8% SL	31.12.2015
		48	Diafenthiuron 50% WP	31.12.2015
		49	Tebuconazole 25.9% EC	31.12.2015
		50	Cymoxanil 8%+Mancozeb 64% WP	31.12.2015
		51	Phorate 10% CG	31.12.2015
		52	Monocrotophos 36% SL	31.12.2015
		53	Bifenthrin 10% EC w/w	31.12.2015
		54	Ammonium salt of Glyphosate 71% SG	31.12.2015
		55	Fluvalinate 25% EC	31.12.2015
		56	Imazethapyr 10% SL	31.12.2015
		57	Novaluron 8.8% SC	31.12.2015
		58	Buprofezin 25% SC	31.12.2015
		59	Novaluron 5.25%+Indoxacarb 4.5% w/w SC	31.12.2015
		60	Hexaconazole 5% SC	31.12.2015
		61	Fipronil 5% SC	31.12.2015
		62	Sulphur 80% WDG	31.12.2015
		63	Emamectin Benzoate 5% SG	31.12.2015
		64	Thiophanate Methyl 70% WP	31.12.2015
		65	Imidacloprid 30.5% SC	31.12.2015
		66	Azoxystrobin 11%+Tebuconazole 18.3% w/w SC	31.12.2015
2	मेसर्स पंजाब पेस्टिसाइड इन्डस्ट्रीयल कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लि०	67	Propineb 70% WP	31.12.2016

2-उपरोक्त कीटनाशियों का प्रतिष्ठान द्वारा भण्डारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, में विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भण्डार स्थल पर किया जायेगा:- मेसर्स एडामा इंडिया प्रा0 लि0, द्वारा-H/O श्री शशांक अग्रवाल, प्रथम तल, दक्षिण साईड, A-3, ट्रान्सपोर्ट नगर, पटना-7

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम, 1968 नियमावली, 1971 आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4-अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी का बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेंट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

8-कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या-25-26 दिनांक 18.11.2009 मूल रूप में संलग्न है। कृपया प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(बी0 कार्तिकेय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

4032

/कृ0, पटना, दिनांक .....2)..... अगस्त, 2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्प) उपादान बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20/8

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।